बिहार सरकार
समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी
सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस0आई0ए0) की अधिसूचना
(अधिनियम 30/2013 की धारा–1 के अधीन)

चूँकि समाहर्त्ता, **पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी** को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना–**चकिया–केसरिया सत्तर घाट पथ के 27वें कि0मी0 में निर्माणाधीन उच्च स्तरीय आर0 सी0 सी0 सेतु–सह–पहुँच पथ निर्माण** हेतु ग्राम–ढेकहाँ (चादर नं0–4), थाना न0–253, में 42.74 एकड़/ग्राम–ढेकहाँ (चादर न0–03), थाना न0–253 में 15.15 एकड़/ग्राम–सुन्दरपुर (चादर न0–07), थाना न0–228 में 12.88 एकड़/ग्राम–सुन्दरपुर (चादर न0–01), थाना न0–228 में 5.60 एकड़ तथा ग्राम–मझरीया (चादर न0–05), थाना न0–252 में 17.80 एकड़, अंचल–केसरिया, अनुमंडल–चकिया, जिला–पूर्वी चम्पारण में कुल–94.17 एकड़ भूमि अपेक्षित है, इसलिए भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (30/2013) की धारा–4 तथा बिहार भूमि–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2014 के नियम–6 के उपनियम (1) एवं एतद् संबंधी निर्गत राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 647/रा0 दिनांक–09.05.14 के अधीन राज्य एस0 आइ0 ए0 इकाई **अनुग्रह नारायण सिंह, समाज अध्ययन संस्थान, पटना** को उक्त परियोजना के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है:–

1 परियोजना का नाम:– **चकिया–केसरिया सत्तर घाट पथ के 27वें कि0मी0 में निर्माणाधीन उच्च स्तरीय आर0 सी0 सी0 सेतु–सह–पहुँच पथ निर्माण परियोजना।**

2 परियोजना का संक्षिप्त विवरण:–**वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।**

3 परियोजना का क्षेत्र:–**94.17 एकड़**

4 अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि/भू–खण्ड का विवरण:–**विवरणी संलग्न**

5 एस0आइ0ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र:––**ढेकहाँ (चादर नं0–4), थाना न0–253, /ग्राम–ढेकहाँ (चादर न0–03), थाना न0–253/ग्राम–सुन्दरपुर (चादर न0–07), थाना न0–228/ग्राम–सुन्दरपुर (चादर न0–01), थाना न0–228 तथा ग्राम–मझरीया (चादर न0–05), थाना न0–252.**

6 एस0आइ0ए0 के प्रमुख उद्देश्य एवं क्रियाकलाप:–परामर्श,सर्वेक्षण, प्रभावित परिवारों की सूची,
पुनर्वासित होनेवाले परिवारों की सूची,
लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ, इत्यादि।

7 एस0आइ0ए0 के लिए टाइमलाईन और अंतिम परिदेय (TOR के अनुसार): **-2 (दो) माह**

8 राज्य एस0आइ0ए0 इकाई की सम्पर्क सूचना:–**9471624074, 7765962130**

एस0आइ0ए0 अध्ययन अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई एवं जाँचोपरान्त यह कृत सही पाये जाने पर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को अकृत और शून्य कर दिया जायेगा।

ह0/–

समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी

711 8/5/2016

ज्ञापांक 378 दिनांक 31.8.16

प्रतिलिपि–निदेशक–सह–विशेष सचिव, भू–अर्जन, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि–आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–राज्य एस0आइ0ए0 इकाई अनुग्रह नारायण सिंह, समाज अध्ययन संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अंचल अधिकारी, केसरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संबंधित मुखिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला की बेब साइट पर प्रकाशन हेतु NIC को सूचनार्थ।

समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी

712 8/5/2016